सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 129/2016 दायर तारीख :– 28-12-2016

1. इन्द्र सिंह वाही पुत्र श्री हरिसिंह वाही जाति खत्री निवासी–एम–3, कैलाश प्लाजा, 252 एच, सन्तनगर ईस्ट ऑफ कैलाश नई दिल्ली। —— वादी

बनाम

1. बुद्धा पुत्र कालू
2. लीलाराम
3. मालीराम
4. राजू
5. प्रकाश
   (2 से 5) पुत्रान सुल्तान
6. फत्ता पुत्र कालू
7. भगवाना
8. बीरबल
   (7 व 8) पुत्रान रामसहाय
9. बंशी पुत्र बोदू
10. सरदारा पुत्र साधू

(1 से 10) समस्त जाति गुर्जर निवासी छींतोली तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

11. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर राज0

—— प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा खातेदारी भूमि एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित : श्री आनंद सिंह शेखावत, अधिवक्ता वादी
एकपक्षीय कार्यवाही प्रतिवादी सं॰ 1 लगा॰ 10
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक : 18.03.2020

1. वादी ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम छींतौली के खसरा नम्बर 2099/0.65, 2498/0.45, 2500/0.29, 2502/0.30, 2505/0.25, 2507/0.12 कुल किता 6 कुल रकबा 2.06 हैक्टेयर वादी के नाम सह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2070–2073 है। यह है कि वादी ने उक्त आराजी का हिस्सा 1/4 खातेदार सुवा, छीतर, चौथू पिता सुण्डा से जरिये रजिस्ट्री क्रय किया है एवं खातेदारो के मध्य वादी के जमीन खरीदने से पूर्व हुए बाहमी बंटवारे के मुताबिक मौके पर कब्जा प्राप्त कर अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। यह है कि वादी ने खातेदार पन्ना पुत्र कालू से उसके हिस्सा 1/16 की भूमि को भी जरिए रजिस्ट्री खरीद लिया है और खरीद के दिनांक 28.10.2009 को ही मौके पर खातेदारों के मध्य हुए आपसी मनबंट के आधार पर कब्जा प्राप्त कर अपनी खरीदशुदा भूमि पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। यह है कि वादी के भूमि खरीदने से पूर्व खातेदारों में हुए आपसी बंटवारे के मुताबिक हाल खसरा नंबर 2505/0.25

सत्यमेव जयते
Web Copy - Non Official

हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व पन्ना के बंट मे आई हुई थी, जिसमें से प्रतिवादी संख्या 1 बुद्धा के पास बतरफ पश्चिम का हिस्सा व बतरफ पूर्व का हिस्सा पन्ना के बंट में आया हुआ था। उक्त भूमि मे बतरफ उत्तर की तरफ खेतों में आने–जाने के लिए 8 फुट चौड़ा रास्ता भी रखा हुआ था। यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 झगडालू प्रवृत्ति का आदमी है जो आये दिन वादी के साथ उसके हिस्से की भूमि पर आने–जाने के 8 फुट चौड़े रास्ते में ही दखल नही करता बल्कि वादी के हिस्से की भूमि खसरा नंबर 2505 की काश्त करने मे भी दखल पैदा करता है, जिसका प्रतिवादी संख्या 1 को कोई हक अधिकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1, वादी को खेत में आने–जाने के रास्ते को बंद करने एवं काश्त करने से रोकने के संबंध मे एलानिया धमकी देता है, जिससे शामिल खाते में काश्त करना संभव नहीं रहा है। अतः निवेदन है कि ग्राम छींतौली के खसरा नम्बर 2099/0.65, 2498/0.45, 2500/0.29, 2502/0.30, 2505/0.25, 2507/0.12 कुल किता 6 कुल रकबा 2.06 हैक्टेयर का मौके एवं कब्जे काश्त एवं हिस्से के अनुसार बंटवारा किया जाकर वादी को पृथक से खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं खेतों में कृषि यंत्र संसाधन ले जाने हेतु रास्ता दिलवाया जावें तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे साथ प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे वादी को बंटवारे में प्राप्त आराजी में किसी प्रकार की दखल या मजामहत पैदा नहीं करें।

2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। प्रतिवादीगण सम्यक् तामिल अनुपस्थित रहे, इस कारण प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। पैरोकार सरकार उपस्थित।
3. वादी ने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी ग्राम छींतौली खाता संख्या 62 संवत् 2070–2073, नकल जमाबन्दी ग्राम छींतौली खाता संख्या 111 संवत् 2066–2069, नकल नक्शा ट्रेस आदि पेश किये।
4. तारीख पेशी दिनांक 25.01.2018 को वकील वादी की बहस सुनी गई। समस्त तथ्यों पर मनन किया गया । चूंकि दावा बंटवारा आराजीयात का है। प्रकरण प्राथमिक रूप डिक्री करते हुए तहसीलदार विराटनगर से कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाना न्यायोचित मानते हुए तहसीलदार विराटनगर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार दोनो पक्षों की उपस्थिति में रास्ता का प्रावधान रखते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश करने की तहरीर जारी की गई।
5. तहसीलदार विराटनगर का बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।
6. विद्वान अधिवक्ता वादी एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।
7. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वाके ग्राम छींतौली के खसरा नम्बर 2099/0.65, 2498/0.45, 2500/0.29, 2502/0.30, 2505/0.25, 2507/0.12 कुल किता 6 कुल रकबा 2.06 हैक्टेयर वादी के नाम सह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2070–2073 है। यह है कि

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

वादी ने उक्त आराजी का हिस्सा 1/4 खातेदार सुवा, छीतर, चौथू पिता सुण्डा से जरिये रजिस्ट्री क्रय किया है एवं खातेदारो के मध्य वादी के जमीन खरीदने से पूर्व हुए बाहमी बंटवारे के मुताबिक मौके पर कब्जा प्राप्त कर अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। यह है कि वादी ने खातेदार पन्ना पुत्र कालू से उसके हिस्सा 1/16 की भूमि को भी जरिए रजिस्ट्री खरीद लिया है और खरीद के दिनांक 28.10.2009 को ही मौके पर खातेदारों के मध्य हुए आपसी मनबंट के आधार पर कब्जा प्राप्त कर अपनी खरीदशुदा भूमि पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। यह है कि वादी के भूमि खरीदने से पूर्व खातेदारों में हुए आपसी बंटवारे के मुताबिक हाल खसरा नंबर 2505/0.25 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व पन्ना के बंट मे आई हुई थी, जिसमें से प्रतिवादी संख्या 1 बुद्धा के पास बतरफ पश्चिम का हिस्सा व बतरफ पूर्व का हिस्सा पन्ना के बंट में आया हुआ था। उक्त भूमि मे बतरफ उत्तर की तरफ खेतों में आने–जाने के लिए 8 फुट चौड़ा रास्ता भी रखा हुआ था। यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 झगडालू प्रवृत्ति का आदमी है जो आये दिन वादी के साथ उसके हिस्से की भूमि पर आने–जाने के 8 फुट चौड़े रास्ते में ही दखल नही करता बल्कि वादी के हिस्से की भूमि खसरा नंबर 2505 की काश्त करने मे भी दखल पैदा करता है, जिसका प्रतिवादी संख्या 1 को कोई हक अधिकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1, वादी को खेत में आने–जाने के रास्ते को बंद करने एवं काश्त करने से रोकने के संबंध मे एलानिया धमकी देता है, जिससे शामिल खाते में काश्त करना संभव नहीं रहा है। वकील वादी बहस मनन बाद प्रकरण प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार विराटनगर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार दोनो पक्षों की उपस्थिति में रास्ता का प्रावधान रखते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश करने की तहरीर जारी की गई। तहसीलदार विराटनगर का बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 अनुरूप दोनो पक्षों की उपस्थिति में रास्ता का प्रावधान रखते हुए बनाया गया है, प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर वादी ने उजरात पेश किए गए, वादी द्वारा पेश किए गए उजरात स्वीकार करते हुए तहसीलदार विराटनगर को पुनः बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने के संबंध में तहरीर जारी कि गई, तहसीलदार विराटनगर से बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 26.02.2020 को पुनः प्राप्त हुआ है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 अनुरूप दोनो पक्षों की उपस्थिति में रास्ता का प्रावधान रखते हुए बनाया गया है। पक्षकारान को बंटवारा प्रस्ताव पढकर समझाया गया जिस पर उपस्थित पक्षकारान ने सहमति पेश की, तथा पक्षकारान मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव बंटवारा किये जाने पर सहमत है। अतः दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 26.02.2020 डिक्री किया जाना न्यायसंगत है।

8. वादी ने अपने वादपत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः वादी का वादपत्र डिक्री किये जाने योग्य है।

आदेश

वादी का वादपत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर / रकबा
1	इन्द्र सिंह वाही पुत्र श्री हरिसिंह वाही जाति वाही निवासी–एम–3, कैलाश प्लाजा, 252 एच, सन्तनगर ईस्ट ऑफ कैलाश नई दिल्ली	2498 / 0.3737, 2500 / 0.15, 2505 / 0.12 हैक्टेयर
2	1. प्रकाश पुत्र सुल्तान हिस्सा 322 / 14163 जाति गुर्जर सा. देह खातेदार 2. फत्ता पुत्र कालू हिस्सा 2575 / 28326 जाति गुर्जर सा. देह खातेदार 3. बुद्धा पुत्र कालू हिस्सा 2575 / 28326 जाति गुर्जर सा. देह खातेदार 4. बंशी पुत्र बोदू हिस्सा 2575 / 14163 जाति गुर्जर सा. देह खातेदार 5. बीरबल पुत्र रामसहाय हिस्सा 2575 / 14163 जाति गुर्जर सा. देह खातेदार 6. भगवाना पुत्र रामसहाय हिस्सा 2575 / 14163 जाति गुर्जर सा. देह खातेदार 7. महावीर प्रसाद पुत्र रामजीलाल हिस्सा 2575 / 14163 जाति गुर्जर सा. खेड की मुक्कड़ पोस्ट पनियाला तहसील कोटपूतली खातेदार 8. मालीराम पुत्र सुल्तान हिस्सा 322 / 14163 जाति गुर्जर सा. देह खातेदार 9. राजू पुत्र सुल्तान हिस्सा	2099 / 0.65, 2498 / 1 / 0.0763, 2500 / 1 / 0.14, 2502 / 0.30, 2505 / 1 / 0.13, 2507 / 0.12 हैक्टेयर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

	322 / 14163 जाति गुर्जर सा. देह खातेदार 10. लीलाराम पुत्र सुल्तान हिस्सा 322 / 14163 जाति गुर्जर सा. देह खातेदार	

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। यदि किसी प्रकार का बैंक रहन हो, तो पक्षकार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर / रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे में प्राप्त एक–दूसरे के खसरा नम्बर / रकबा के उपयोग–उपभोग शान्तिपूर्वक करे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 18.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

Web Copy - Not Official

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)
अज अदालत :— उपखण्ड अधिकारी मुकाम विराटनगर
बइजलास :— राजवीर सिंह यादव, आर.ए.एस.

1. इन्द्र सिंह वाही पुत्र श्री हरिसिंह वाही जाति खत्री निवासी—एम—3, कैलाश प्लाजा, 252 एच, सन्तनगर ईस्ट ऑफ कैलाश नई दिल्ली। —— वादी

बनाम

1. बुद्धा पुत्र कालू
2. लीलाराम
3. मालीराम
4. राजू
5. प्रकाश
   (2 से 5) पुत्रान सुल्तान
6. फत्ता पुत्र कालू
7. भगवाना
8. बीरबल
   (7 व 8) पुत्रान रामसहाय
9. बंशी पुत्र बोदू
10. सरदारा पुत्र साधू

(1 से 10) समस्त जाति गुर्जर निवासी छींतोली तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

11. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर राज0

—— प्रतिवादीगण

मुकद्मा नम्बर/नजरसानी संख्या 129/2016 दावा बाबत बंटवारा खातेदारी भूमि एवं स्थायी निषेधाज्ञा यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रूबरू श्री आनंद सिंह शेखावत, अधिवक्ता वादी व हाजरी ....मिन जानिब मुद्दई रूबरू पैरोकार सरकार कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश होकर निवेदन किया कि ग्राम छींतौली के खसरा नम्बर 2099/0.65, 2498/0.45, 2500/0.29, 2502/0.30, 2505/0.25, 2507/0.12 कुल किता 6 कुल रकबा 2.06 हैक्टेयर का मौके एवं कब्जे काश्त एवं हिस्से के अनुसार बंटवारा किया जाकर वादी को पृथक से खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं खेतों में कृषि यंत्र संसाधन ले जाने हेतु रास्ता दिलवाया जावें तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे साथ प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे वादी को बंटवारे में प्राप्त आराजी में किसी प्रकार की दखल या मजामहत पैदा नहीं करें।

सुना गया। वादी का वाद बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का है। प्रकरण कानूनी बंटवारा से संबंधित होने पर तहसीलदार विराटनगर से कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा डिक्री किए जाने पर उभय पक्षकारान सहमत है।

अतः हुक्म दिया जाता है कि वादी का वादपत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

क्र.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर / रकबा
1	इन्द्र सिंह वाही पुत्र श्री हरिसिंह वाही जाति वाही निवासी–एम–3, कैलाश प्लाजा, 252 एच, सन्तनगर ईस्ट ऑफ कैलाश नई दिल्ली	2498 / 0.3737, 2500 / 0.15, 2505 / 0.12 हैक्टेयर
2	1. प्रकाश पुत्र सुल्तान हिस्सा 322 / 14163 जाति गुर्जर सा. देह खातेदार 2. फत्ता पुत्र कालू हिस्सा 2575 / 28326 जाति गुर्जर सा. देह खातेदार 3. बुद्धा पुत्र कालू हिस्सा 2575 / 28326 जाति गुर्जर सा. देह खातेदार 4. बंशी पुत्र बोदू हिस्सा 2575 / 14163 जाति गुर्जर सा. देह खातेदार 5. बीरबल पुत्र रामसहाय हिस्सा 2575 / 14163 जाति गुर्जर सा. देह खातेदार 6. भगवाना पुत्र रामसहाय हिस्सा 2575 / 14163 जाति गुर्जर सा. देह खातेदार 7. महावीर प्रसाद पुत्र रामजीलाल हिस्सा 2575 / 14163 जाति गुर्जर सा. खेडकी मुक्कड़ पोस्ट पनियाला तहसील कोटपूतली खातेदार 8. मालीराम पुत्र सुल्तान हिस्सा 322 / 14163 जाति गुर्जर सा. देह खातेदार 9. राजू पुत्र सुल्तान हिस्सा 322 / 14163 जाति गुर्जर सा. देह खातेदार 10. लीलाराम पुत्र सुल्तान हिस्सा 322 / 14163 जाति गुर्जर सा. देह खातेदार	2099 / 0.65, 2498 / 1 / 0.0763, 2500 / 1 / 0.14, 2502 / 0.30, 2505 / 1 / 0.13, 2507 / 0.12 हैक्टेयर

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। यदि किसी प्रकार का बैंक रहन हो, तो पक्षकार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे में प्राप्त एक–दूसरे के खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग शान्तिपूर्वक करे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 18.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

मुबलिक ....शून्य............................ बाबत ....शून्य.................... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत ....शून्य.................. की सदी सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तक ....शून्य..... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख** 18.03.2020 को जारी की गई।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया। फीस दर्ज करना चाहिए।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर